सं0 ए-35018/2/2009-प्रशा.1
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,नई दिल्ली-110001

दिनांक 17 नवंबर, 2009.

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव
(2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
(3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय सांविधिक निकाय के अध्यक्ष ।
(4) सभी राज्य विद्युत बोर्डो/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
(5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
(6) सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/ भारतीय तकनीकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
(7) अध्यक्ष इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
(8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः **प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में अध्यक्ष, सदस्य (थर्मल)और सदस्य (विद्युत प्रणाली) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सबंध में ।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर निम्नलिखित पदों, जो कि शीघ्र ही रिक्त होंगी, के भरे जाने का प्रस्ताव हैः

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान (रुपये)
1.	अध्यक्ष	26,000 (निर्धारित) (पूर्व-संशोधित) 80,000 (संशोधित) सचिव, भारत सरकार के सचिव की पदेन स्थिति सहित।
2.	सदस्य (थर्मल)	22400-525-24500 (पूर्व संशोधित) 67000-79000 (संशोधित) अपर सचिव, भारत सरकार के अपर सचिव की पदेन स्थिति
3.	सदस्य (विद्युत प्रणाली)	

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

3. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(4) के संबंध में, केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को, जो प्राधिकरण के सदस्य के रूप में, प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो, नियुक्त कर सकती है अथवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक सदस्यों में से एक को पदनामित कर सकती है ।

4. विद्युत अधिनियम, 2003(अधिनियम) प्रावधान करता है कि प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । अधिनियम की धारा 70 की उप धारा(5)के अंतर्गत प्राधिकरण के सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, आर्थिक अथवा औद्योगिक मामलों को सुलझाने का अनुभव प्राप्त हो तथा सक्षम हों और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों में से चुना जाएगा अर्थात्-

(क) उत्पादन केंद्रों की डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं रखरखाव में विशिष्टता के साथ इंजीनियरिंग।

(ख) पारेषण एवं विद्युत की आपूर्ति में विशिष्टता के साथ इंजीनियरिंग ।

(ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।

(घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य एवं वित्त ।

5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2005 में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों के लिए नियमित आधार पर 18400-500-22400(पूर्व संशोधित) या उच्च पद अथवा वेतनमान में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष का पद ।

अथवा

कम से कम 5 वर्षों तक नियमित आधार पर राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान के अधीन उपरोक्त खंड (क) में वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; और

(ख) व्यक्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना अनिवार्य होगा ।

6. अध्यक्ष, सदस्य (थर्मल) और सदस्य (विद्युत प्रणाली), सीईए के पद से संबंधित सभी कार्य एवं उत्तरदायित्व क्रमशः अनुबंध-1 में दिए गए हैं ।

7. अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार की इच्छित समयावधि तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि उस तारीख तक सीमित होगी जब

तक पद का पदधारी सेवानिवृत्ति की तारीख प्राप्त न कर ले । चयन किए गए अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम सीमा 56 वर्ष होगी । पदों हेतु आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तारीख आवेदन की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख होगी ।

8. अनुरोध है कि अर्हता रखने वाले इच्छुक अधिकारियों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र अधिकारियों के विवरण, जिन पर विचार किया जा सके और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 225, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001. को रोज़गार समाचार में रिक्ति के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-2) (चार प्रतियों में) कृपया भेज दिए जायें-

(i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(ii) सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न श्रेणी का न हो) ।

(iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा ।

9. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन अथवा निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किय जाएगा ।
ज

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि ।

(एन. श्रीरामन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23766253

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

(i) विद्युत मंत्री के निजी सचिव, विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
(ii) सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (एके) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव (जीबीपी) के प्रधान निजी सचिव ।

(एन. श्रीरामन)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-I

अध्यक्ष और सदस्य के कर्तव्य एवं दायित्व

अध्यक्ष

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, प्रशासन और विद्युत अधिनियम, 2003 और नियमों के विधिक पक्ष से जुड़े सभी मुद्दों के कार्यों का समग्र समन्वय और नियंत्रण ।

सदस्य (थर्मल)

देश में समग्र ताप विद्युत विकास, ताप विद्युत प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, विकास एवं मूल्यांकन, ताप विद्युत परियोजनाओं की डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, गुणवत्ता आश्वासन मानक एवं योजनाएं, मॉडल दस्तावेजों एवं मानकों की तैयारी, ताप विद्युत परियोजनाओं की जांच तथा राख का उपयोग, ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं स्थिरीकरण की मॉनीटरिंग और इसमें शामिल समस्याओं के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार कार्यक्रम आदि ।

सदस्य (विद्युत प्रणाली)

राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं के साथ संगत पारेषण सुविधाओं की योजना एवं विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग, पारेषण एवं वितरण हानि में कमी, पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु अध्ययन, पारेषण तकनीकी विकास, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, मॉडल दस्तावेज का मानकीकरण एव तैयारी, पारेषण योजनाओं का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, पारेषण परियोजनाओं की निर्माण संबंधी निगरानी, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के विभागों में विद्यमान विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण, विद्युत संस्थापनाओं में दुर्घटनाओं की जांच और उनको कम करने तथा उनकी रोकथाम हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव आदि ।

अनुबंध-2

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में अध्यक्ष/सदस्य (   ) के पद हेतु आवेदन पत्र

भाग-I

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित		
2. जन्म तिथि		
3. केंद्र/राज्य सरकार/पैत्रिक संगठन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं। (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसका उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया बताएं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनज़र आप पद संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं।		

7. कालानुक्रम में सेवा के ब्यौरे, यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित प्रपत्र संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार में)

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं- क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि: ख) प्रतिनियुक्ति/ठेका आधार पर नियुक्ति की तारीख ग) वर्तमान कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	
10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्तशासी संगठन घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय/सभी भारतीय तकनीकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ और पूर्व संशोधित वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब मिलने वाली प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहेंगे । (अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव से अधिक के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं) (नोट- यदि कुछ अपर्याप्त है तो अलग से प्रपत्र संलग्न करें)	

14. टिप्पणियां (आवेदक (i) अनुसंधान प्रकाशन, रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी मूल्यांकन/(iii)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं। (नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग से प्रपत्र संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे ज्ञात है कि दस्तावेजों सहित जमा कराया गया मेरा जीवनवृत्त भी पद हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर
पताः
दूरभाष/मोबाइल नं0
फैक्स नं0

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-II

(आवेदन पत्र भेजने वाले कार्यालय का नाम व पता)

संदर्भ सं0............................ तारीख......................

प्रमाणित किया जाता है-

(क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता स्वीकृति/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा इन पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (यदि आवेदक पर कोई दंड लगाया गया है तो उसका ब्यौरा दें)

(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर..........................
नाम.....................................
पदनाम.................................
कार्यालय..............................

(आवेदन का भाग-II सक्षम प्राधिकारी,जो उपसचिव, भारत सरकार, से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)